झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग,

कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची–834010.
e-mail- jharkhand_ssc@rediffmail.com

झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2023

विज्ञापन संख्या–13/2023

आवश्यक सूचना–19

दिनांक–15.02.2024

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 128 दिनांक 29.01.2024 एवं झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के पत्रांक 317 दिनांक 29.01.2024 द्वारा क्रमशः झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2024 एवं सहायक आचार्य के लिए निर्धारित अनुभव तथा स्वच्छता प्रमाण पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराया गया है। पुनः स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय), झारखण्ड, राँची के पत्रांक 65/विधि दिनांक 09.02.2024 द्वारा उक्त नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2023 का आयोजन किये जाने का निदेश प्राप्त है।

2. अतः झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2024 के आलोक में विज्ञापन संख्या 13/2023 को निम्नवत् संशोधित किया जाता हैः–

(क) परीक्षा विवरणिका की कंडिका 05 को निम्नवत् संशोधित किया जाता हैः–

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से)
1	2	3	4
1.	**इण्टरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा 1 से 5)**	लेवल– 4 25,500/– से 81,100/–	प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हों और निम्नलिखित शर्त्तों को पूरा करते होः– न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो) अथवा न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो), जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार सत्र 2007–2009 तक प्राप्त किया गया हो। अथवा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी०एल०एड०) अथवा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा

क्र॰ सं॰	पदनाम	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से)
1	**2**	**3**	**4**
			अथवा स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो) **एवं** **राष्ट्रीय अध्यापाक शिक्षा परिषद् द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन झारखण्ड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) में उत्तीर्ण।** **साथ ही, झारखंड राज्य के वैसे निवासी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन कक्षा 1 से 5 के लिये आयोजित केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अथवा झारखंड के पड़ोसी राज्यों द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हों, को सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया में इस शर्त के साथ शामिल किया जाता है कि नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष के अंदर एवं पहले उपलब्ध अवसर में शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।**
2.	**स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा 6 से 8)** **गणित एवं विज्ञान शिक्षक** – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डिग्रियों का विनिर्देशन (Specification of Degrees) के संबंध में जारी अधिसूचना, मार्च, 2014 एवं उसके उपरांत में अधिसूचित विज्ञान / अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी / कृषि तथा गणित विषय में से किसी एक में न्यूनतम् 03 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हों तथा 10+2 या उच्चतर माध्यमिक, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान में से कम से कम दो विषय के साथ उत्तीर्ण हों।	लेवल– 5 29,200/– से 92,300/–	उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8 में) स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा तथा स्नातक या इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हों एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हों और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों:– स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो) अथवा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (या इसके समकक्ष) या स्नातकोत्तर एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एड.) [जो दिनांक 29.07.2011 से पूर्व स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित नहीं हुए हों] अथवा न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (या इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एड) अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, जो इस संबंध में समय–समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। [जो दिनांक 29.07. 2011 से पूर्व स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हो] अथवा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल. एड.) अथवा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी.ए/बी.एस.सी. एड. (BA, BSC,Ed.) या बी.ए.एड. (BA,Ed.)/बी.एस.सी. एड. (BSC,Ed.)
3.	**स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा 6 से 8)** **सामाजिक विज्ञान शिक्षक**– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डिग्रियों का विनिर्देशन (Specification of Degrees) के संबंध में जारी अधिसूचना, मार्च, 2014 एवं उसके उपरांत में अधिसूचित, कला / मानविकी / सामाजिक विज्ञान /वाणिज्य /प्रबंधन विषय में न्यूनतम् 03 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हों।		

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से)
1	2	3	4
4.	**स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा 6 से 8)** **भाषा शिक्षक**– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा अधिसूचित भाषा हिन्दी/ अंग्रेजी/उर्दू/ संथाली/बंगला/मुण्डारी (मुण्डा)/ हो/ खड़िया/ कुडूख (उरांव)/ कुरमाली/ खोरठा/ नागपुरी/ पंचपरगनिया/ उड़िया/संस्कृत भाषा में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम तीन वर्षीय स्नातक या स्नातक (प्रतिष्ठा) विषय के रूप में कोई एक विषय के साथ स्नातक उर्त्तीण।		अथवा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) तथा बी.एड. (विशेष शिक्षा) अथवा न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 03 वर्षीय एकीकृत बी.एड.–एम.एड. **एवं** **राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन झारखण्ड सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) में उत्तीर्ण।** **साथ ही, झारखंड राज्य के वैसे निवासी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन कक्षा 6 से 8 के लिये आयोजित केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण एवं झारखंड के पड़ोसी राज्यों द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हों, को सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया में इस शर्त के साथ शामिल किया जाता है कि नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष के अंदर एवं पहले उपलब्ध अवसर में शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।**

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः–

(i) अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उतीर्ण होना अनिवार्य होगा। अर्थात् शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए Online आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि (Reference Date) माना जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जायेंगे।

(ii) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग– अनुसूची–1/ पिछड़ा वर्ग– अनुसूची–2 एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पी.भी.टी.जी.) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक में 7 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

(iii) अभ्यर्थी जिस विषय/ विषय समूह से शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, उसी विषय/ विषय समूह में राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर सहायक आचार्य नियुक्ति के पात्र होंगे।

(iv) खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण का दावा कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या–1709, दिनांक–12.09.2007 द्वारा **श्रेणी–'ग'** के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा :–

क्र॰ सं॰	प्रतियोगिता का स्तर	उपलब्धि
1	2	3
1.	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता।	मेडल
2.	भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशीप स्तर की प्रतियोगिता।	प्रथम स्थान
3.	राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता।	विश्व रिकार्ड

नोटः– उपर्युक्त अंकित संकल्प संख्या–1709, दिनांक–12.09.2007 आयोग के वेबसाईट www.jssc.nic.in पर उपलब्ध है।

(ख) परीक्षा विवरणिका की कंडिका 18 (क) के नोट को निम्नवत् संशोधित किया जाता हैः–

नोटः– पत्र–1 माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र अर्हक (Qualifying) होगा। इस पत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस पत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक अर्जित करने के उपरांत ही उनके अन्य पत्रों की जाँच की जायेगी। इसका प्राप्तांक मेधा सूची के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जायेगा।

सहायक अध्यापक के मामले में उक्त प्रावधान शिथिल रहेगा।

(ग) परीक्षा विवरणिका की कंडिका 18 (क) अन्तर्गत पाठयक्रम (ग) को निम्नवत् संशोधित किया जाता हैः–

पत्र–3 के खण्ड (i) में अंकित विषय का पाठ्यक्रम 18 (घ) (i से vi) तथा पत्र–3 के खण्ड (ii) एवं (iii) में अंकित विषय के अन्तर्गत झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जायेंगे, जिसके कठिनाई का स्तर +2/इण्टरमीडिएट होगा।

(घ) परीक्षा विवरणिका की कंडिका 18 (ख) अन्तर्गत पत्र–4 (I), (II) एवं (III) के नोट को निम्नवत् संशोधित किया जाता हैः–

नोटः– उक्त विषय में 33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।

सहायक अध्यापक के मामले में उक्त प्रावधान शिथिल रहेगा।

(ङ) परीक्षा विवरणिका की कंडिका 18 (ख) के नोट को निम्नवत् संशोधित किया जाता हैः–

नोटः– पत्र–1 माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र अर्हक (Qualifying) होगा। इस पत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस पत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक अर्जित करने के उपरांत ही उनके अन्य पत्रों की जाँच की जायेगी। इसका प्राप्तांक मेधा सूची के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जायेगा।

सहायक अध्यापक के मामले में उक्त प्रावधान शिथिल रहेगा।

(च) परीक्षा विवरणिका की कंडिका 19 (vii) के रूप में निम्न प्रावधान अंतःस्थापित किया जाता हैः–

19. (vii) सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु कोटिवार न्यूनतम प्राप्तांक की बाध्यता सहायक अध्यापक के मामले में लागू नहीं होगा।

(छ) परीक्षा विवरणिका की कंडिका 06 में अंकित अनुभव के संबंध में विहित प्रपत्र परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

3. विवरणिका (समय–समय पर संशोधित) की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी। उक्त प्रावधान के आलोक में नए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए लिंक यथाशीघ्र आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। यह लिंक मात्र नए अभ्यर्थियों के लिए खोला जाएगा। अतः पूर्व में आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है।

ह०/–
परीक्षा नियंत्रक।

परिशिष्ट 'क'

पत्रांक .... **दिनांक ....**

कार्यालय, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, ..., जिला.............................

<u>स्वच्छता प्रमाण–पत्र</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमति/ कुमारी ....

पुत्र/ पत्नी/ पुत्री श्री ....

निवासी ....

को जन्म से/ .... वर्षों से व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। इनके विरूद्ध किसी तरह का अपराधिक मामला नहीं है। मेरी जानकारी में इनका चरित्र उत्तम है। ये मेरे सम्बन्धी नहीं है।

दिनांक ....

हस्ताक्षर ....

नाम – ....

पदनाम – प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी

मोहर ....

परिशिष्ट 'ख'

पत्रांक .... **दिनांक ....**

सहायक अध्यापक अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमति/ कुमारी .... पुत्र/ पुत्री/ पति/ पत्नी श्री .... ग्राम–..., थाना–.. प्रखण्ड – .... जिला–.................................. का निवासी हैं। इनका शैक्षणिक योग्यता .... है। ये प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक/ उच्च प्राथमिक शिक्षक के रूप में वर्ष .... से कार्यरत हैं। इन्होंने वर्ष .... में शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है।

इनका शिक्षण अनुभव .... वर्ष .... माह .... का है। इस अवधि में विद्यालय में इनकी सेवा संतोषप्रद पायी गई है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।

तिथि ....

संबंधित अनुशासनिक–सह–प्रशासनिक प्राधिकार
के सदस्य सचिव का हस्ताक्षर

मोहर ....